[2011] 9 एस.सी.आर. 561

बिहार राज्य आवास मंडल एवं अन्य

बनाम

आशा लता वर्मा

(2008 की दीवानी अपील सं. 5779)

28 जुलाई, 2011

**[पी.सतशिवम और एच.एल.गोखले, न्यायमूर्तिगण]**

*आवास - फ्लैट का आवंटन - कब्जा सौंपने के बाद कीमत का पुनः निर्धारण/पुनः निर्धारण - निर्धारित राशि के भुगतान पर मूल आवंटी के पक्ष में फ्लैट का आवंटन - आवंटी की मृत्यु - भुगतान का प्रमाण और अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने पर आवंटी की पत्नी के नाम पर फ्लैट का हस्तांतरण - तत्पश्चात उत्तरदाता की पत्नी द्वारा अपनी बहू के नाम पर फ्लैट हस्तांतरित करने की अनुमति मांगना - हाउसिंग बोर्ड द्वारा उत्तरदाता को सूचना जारी करना, जिसमें फ्लैट के विरुद्ध बकाया राशि के लिए भारी मांग की गई - उत्तरदाता द्वारा दायर विनिर्दिष्ट आदेश याचिका - उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने मांग की सूचना को अभिखंडित कर दिया और बोर्ड को उत्तरदाता की बहू के पक्ष में फ्लैट हस्तांतरण की अनुमति देने का निर्देश दिया; और बोर्ड तथा उसके अधिकारियों के विरुद्ध सतर्कता जांच का आदेश दिया - खंडपीठ द्वारा आदेश को बरकरार रखा गया - अपील पर, यह निर्णय लिया गया: उत्तरदाता या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा हाउसिंग बोर्ड के मामलों में कुप्रबंधन की ओर इशारा करते हुए आवश्यक विवरण प्रदान करने वाली विशिष्ट शिकायत के अभाव में, एकल न्यायाधीश सतर्कता जांच के निर्देश जारी करने के लिए उचित नहीं थे - उत्तरदाता को दी गई राहत से संबंधित आदेश को बरकरार रखा जाता है और बोर्ड तथा उसके अधिकारियों से संबंधित अन्य सभी निर्देश अपास्त किए जाते हैं।*

**अपीलकर्ता - राज्य आवास मंडल ने मूल आवंटित व्यक्ति के पक्ष में फ्लैट का आवंटन किया। आवंटित व्यक्ति ने मंडल को निर्धारित समय में सम्पूर्ण राशि का भुगतान किया। मूल आवंटित व्यक्ति का देहांत हो गया और उसकी पत्नी (उत्तरदाता) ने फ्लैट का नामांतरण अपने नाम करने के लिए आवेदन किया। उत्तरदाता ने भुगतान का प्रमाण और अन्य अभिलेख प्रस्तुत किए और फ्लैट उसके नाम स्थानांतरित कर दिया गया। इसके पश्चात्, उत्तरदाता ने फ्लैट का नामांतरण अपनी बहू के नाम करने का अनुरोध किया। आवास मंडल ने फ्लैट के खिलाफ**

बकाया देयों के रूप में विशाल मांग जारी की। असंतुष्ट होकर, उत्तरदाता ने मांग नोटिस को अभिखंडित कराने और यह दलील देने हेतु याचिका दायर की कि फ्लैट के कब्जे के बाद मंडल को मूल्य पुनर्निर्धारण/पुनर्निर्धारित करने का अधिकार नहीं है। उच्च न्यायालय के एकल न्यायमूर्ति ने मांग नोटिस को अभिखंडित कर दिया और मंडल को उत्तरदाता की बहू के पक्ष में फ्लैट के नामांतरण की अनुमति देने का निर्देश दिया। इसके अतिरिक्त, अतिरिक्त महानिदेशक सतर्कता को निर्देश दिया गया कि मंडल के खिलाफ मामला दर्ज करें और निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल अधिकारियों की गतिविधियों की जांच करें तथा ऐसे अधिकारियों की संपत्ति और धन का भी अन्वेषण करें। उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ ने एकल न्यायमूर्ति का आदेश बनाए रखा। अतः अपीलकर्ता-आवास मंडल ने वर्तमान अपील दायर की।

अपील का आंशिक रूप से अनुमोदन करते हुए, न्यायालय

अभिनिर्धारित : 1.1 जैसे ही 07.02.2008 को, एकल न्यायमूर्ति ने याचिका को अनुमति देते हुए निपटाया और उत्तरदाता को राहत प्रदान की तथा बोर्ड और उसके अधिकारियों के विरुद्ध सतर्कता जांच का आदेश दिया। इसके बाद, यद्यपि आवास मंडल द्वारा एकल न्यायमूर्ति के आदेश के विरुद्ध दाखिल एल.पी.ए. को खण्ड पीठ द्वारा भी निपटाया गया, यह स्पष्ट नहीं है और समझ में नहीं आता कि मामला तब और वहां एकल न्यायमूर्ति द्वारा कैसे सुना गया। सतर्कता विभाग का प्रतिवेदन को अधिवक्ता जनरल की राय के आधार पर पढ़ने के बाद भी, एकल न्यायमूर्ति ने 03.05.2010 को आगे का आदेश दिया और पुनः सतर्कता विभाग को और प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। आवास मंडल की यह आपत्ति है कि याचिकाकर्ता ने उचित राहत प्राप्त कर ली है और आवश्यक विवरणों के साथ कोई विशिष्ट दावा/शिकायत प्रस्तुत नहीं की गई है, इसलिए एकल न्यायमूर्ति द्वारा मंडल के मामलों में सतर्कता विभाग को व्यापक जांच के लिए निर्देश देना उचित नहीं था। [कंडिका 9] [569-डी-जी]

1.2 एकल न्यायमूर्ति के समक्ष केवल आवास मंडल द्वारा जारी मांग नोटिस से संबंधित प्रश्न था। निस्संदेह, याचिकाकर्ता ने मंडल के अधिकारियों के खिलाफ कुछ कथन किए, परंतु न तो याचिकाकर्ता द्वारा और न ही किसी अन्य द्वारा मंडल के कार्यों में दुरुपयोग/अनियमितता की कोई विशिष्ट शिकायत प्रस्तुत की गई। यदि कोई विशिष्ट शिकायत सभी विवरणों के साथ प्रस्तुत होती, तो निस्संदेह, न्यायालय उसे संबंधित फोरम को जांच और उसके परिणाम के अनुसार आगे की कार्रवाई के लिए भेज सकता था। केवल उच्च न्यायालय के अन्य मामलों में दिए गए आदेशों में कुछ टिप्पणियों के आधार पर, जो या तो अपास्त किए गए, संशोधित किए गए या

**प्रचलित मामले पर लागू नहीं होते, एकल न्यायमूर्ति द्वारा सतर्कता जांच के निर्देश देना उचित नहीं था। यह निर्देश इस प्रकार भी जारी हुआ मानो मंडल के अधिकारियों ने भारी राशि का लाभ उठाया हो, बिना किसी विश्वसनीय और स्वीकार्य अभिलेखों के। सामान्यतः, न्यायालय का कार्य केवल उठाए गए विवाद को सुलझाना है और केवल असाधारण मामलों में ही, जब पर्याप्त अभिलेख उपलब्ध हों, ऐसी जांच आदेशित की जा सकती है, न कि सामान्य जानकारी, अनुमान या पूर्वधारणाओं के आधार पर। इसके अतिरिक्त, 07.02.2008 को याचिका के निपटान के बाद, एकल न्यायमूर्ति ने किस प्रकार अधिकार क्षेत्र ग्रहण कर कई निर्देश जारी किए। [कंडिका 10] [569-एच ; 570-ए -ई]**

**1.3 सतर्कता विभाग द्वारा जांच और इसके पश्चात एकल न्यायमूर्ति द्वारा जारी आदेश और निर्देश बनाए नहीं रखे जा सकते; याचिकाकर्ता को प्रदान की गई राहत से संबंधित एकल न्यायमूर्ति के आदेश की पुष्टि करते हुए, मंडल और उसके अधिकारियों से संबंधित सभी अन्य निर्देश अपास्त किए जाते हैं। हालांकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि मंडल के किसी भी अधिकारी के खिलाफ कोई विशिष्ट शिकायत तथ्य और आंकड़ों के साथ हो, तो संबंधित व्यक्ति के लिए उचित अभियोजन अभिकरण के पास जाना आवश्यक है, और यदि ऐसी कोई शिकायत की जाती है, तो अभिकरण कानून के अनुसार कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। [कंडिका 11] [570 ई-जी]**

*श्रीमती मीरा मिश्रा बनाम स्टेट ऑफ बिहार* **2001(3) पीएलजेआर 809**; *संजीव कुमार सिंह बनाम मैनेजिंग डायरेक्टर* **2003 (2) पीएलजेआर 513**; *सीता देवी बनाम बिहार स्टेट हाउसिंग बोर्ड* **2007 (1) पीएलजेआर 246 – संदर्भित।**

**मामला कानून संदर्भ**

| | | |
|---|---|---|
| **2001 (3)पीएलजेआर 809** | **संदर्भित** | **कंडिका 7** |
| **2003 (2) पीएलजेआर 513** | **संदर्भित** | **कंडिका 7** |
| **2007 (1) पीएलजेआर 246** | **संदर्भित** | **कंडिका 7** |

दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार : 2008 का दीवानी अपील संख्या 5779

पटना उच्च न्यायालय के निर्णय एवं आदेश दिनांक 02.07.2008 से, 2008 का एल.पी.ए. संख्या 211

अपीलार्थियों के लिए एस. चंद्र शेखर, मनोज कुमार, रामराघवेन्द्र, सूरज राठी

उत्तरदाताओं के लिए प्रणीत रंजन, प्रणय रंजन, रघवेन्द्र तिवारी

न्यायालय द्वारा निर्णय प्रस्तुत किया गया:

**पी. सतशिवम, न्यायमूर्ति** 1 . यह अपील उस अंतिम निर्णय एवं आदेश के विरुद्ध है जो 02.07.2008 को पटना उच्च न्यायालय में 2008 का एल.पी.ए संख्या 211 में पारित किया गया, जिसमें उच्च न्यायालय की खण्डपीठ ने 2007 का दीवानी रिट'क्षेत्राधिकार मामला संख्या 11753 में विद्वान एकल न्यायधीश द्वारा 07.02.2008 को पारित आदेश में हस्तक्षेप करने से इंकार किया और याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर अपील का निपटारा किया।

2. संक्षिप्त तथ्य:

(क) 1972 में, बिहार राज्य आवास मंडल (जिसे आगे "मंडल" कहा गया है) ने हनुमान नगर, पटना में मध्यम आय वर्ग (एमआईजी) के लिए फ्लैट निर्माण योजना प्रारंभ की। राम चंद्र प्रसाद वर्मा (जिनका अब निधन हो चुका है) – उत्तरदाता के पति – ने इसके लिए आवेदन प्रस्तुत किया। बाद में, जब मांग की गई, तो उन्होंने 28.09.1978 को एमआईजी फ्लैट/हाउस के आवंटन हेतु 6,500/- रुपये जमा किए। आवंटन उनके पक्ष में साकार हुआ और एमआईजी फ्लैट संख्या 171, हनुमान नगर, पटना, उन्हें मंडल के आदेश संख्या 7273 दिनांक 23.09.1981 के माध्यम से आवंटित किया गया। किराया-खरीद समझौते के निष्पादन के बाद, 28.11.1981 को उन्हें फ्लैट की स्वीकृति दी गई। उस समय, मंडल द्वारा फ्लैट की कुल लागत 66,382/- रुपये निर्धारित की गई थी। पूरी राशि निर्धारित समय सीमा के भीतर मंडल को भुगतान कर दी गई।

(ख) 25.03.1991 को, उत्तरदाता के पति का निधन हो गया और वर्ष 1992 में, उन्होंने अपने नाम पर फ्लैट के स्थानांतरण के लिए आवेदन किया। फ्लैट, मंडल को भुगतान विवरण और अन्य आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत करने के बाद, उत्तरदाता के नाम स्थानांतरित कर दिया गया, जो कि पत्र संख्या 1459 दिनांक 05.05.1998 के माध्यम से किया गया।

(ग) इसके पश्चात, उत्तरदाता ने अपने फ्लैट को पुत्रवधू, श्रीमती मीरा वर्मा के नाम स्थानांतरित करने का निर्णय लिया और इसके लिए स्थानांतरण की मांग की। इस समय, मंडल ने उक्त फ्लैट के बकाया शेष राशि के रूप में 3,64,419/- रुपये की मांग की, जो कि पत्र संख्या 2169 दिनांक 29.06.2006 के माध्यम से की गई, और उत्तरदाता से इसे 31.07.2006 तक जमा करने के लिए कहा गया।

(घ) उक्त मांग नोटिस के विरुद्ध, उत्तरदाता ने पटना उच्च न्यायालय के समक्ष इसे अभिखंडित करने के लिए रिट याचिका 2007 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या

11753 दायर की, जिसमें यह आधार लिया गया कि फ्लैट का भुगतान पहले ही 144 समान किस्तों में किया जा चुका है और बोर्ड द्वारा ऐसी मांग करना उचित नहीं है तथा कब्जा सौंपने के बाद उसे कीमत के पुनः निर्धारण/पुनः नियत का अधिकार नहीं है। विद्वान एकल न्यायाधीश ने 07.02.2008 के आदेश द्वारा रिट याचिका को स्वीकार कर लिया और मांग नोटिस को रद्द कर दिया तथा बोर्ड को उत्तरदाता की बहू सुश्री मीरा वर्मा के पक्ष में फ्लैट हस्तांतरण की अनुमति देने का निर्देश दिया। विद्वान एकल न्यायाधीश ने बिहार राज्य के अपर सतर्कता महानिदेशक को बोर्ड के विरुद्ध मामला दर्ज करने और निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल अधिकारियों की गतिविधियों की जांच करने तथा बोर्ड के ऐसे अधिकारियों की संपत्ति और संपत्तियों की जांच शुरू करने का भी निर्देश दिया।

(ङ) विद्वान एकल न्यायाधीश के उक्त आदेश के विरुद्ध, बोर्ड ने उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष अपील जो है 2008 की लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 211 दायर की। खंडपीठ ने, दिनांक 02.07.2008 के आक्षेपित आदेश द्वारा, विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और यहाँ के अपीलकर्ताओं द्वारा दायर अपील को निपटा दिया। इससे व्यथित होकर, बोर्ड ने इस न्यायालय के समक्ष विशेष अनुमति याचिका के माध्यम से यह अपील प्रस्तुत की।

3. अपीलकर्ता-बोर्ड की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री एस. चंद्र शेखर और उत्तरदाता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री प्रणीत रंजन को सुना गया।

4. चूंकि उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने उत्तरदाता द्वारा दायर विनिर्दिष्ट याचिका को स्वीकार करते हुए, बोर्ड और उसके अधिकारियों के कामकाज के तरीके पर अपनी नाराजगी व्यक्त की थी और सतर्कता अन्वेषण के लिए कुछ निर्देश जारी किए थे, बोर्ड ने उक्त निर्देशों से व्यथित होकर खंडपीठ के समक्ष अपील दायर की। खंडपीठ ने, 02.07.2008 के आक्षेपित आदेश द्वारा, यह देखते हुए कि सतर्कता विभाग ने पहले ही प्रारंभिक अन्वेषण शुरू कर दी है, एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। बोर्ड, विद्वान एकल न्यायाधीश के उन निर्देशों से अत्यधिक व्यथित है, जिसमें बिहार राज्य के अपर सतर्कता महानिदेशक को बोर्ड के विरुद्ध मामला दर्ज करने और उन सभी व्यक्तियों की गतिविधियों की जांच करने का निर्देश दिया गया था जो निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल थे, और साथ ही जो विनिर्दिष्ट याचिकाकर्ता, यानी आशा लता वर्मा के संबंध में गलत खाते बनाने और झूठी मांगें उठाने के लिए जिम्मेदार थे। उसी आदेश में, विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह भी

निर्देश दिया था कि बोर्ड के ऐसे अधिकारियों की संपत्ति और संपत्तियों की जांच की जाए ताकि यह देखा जा सके कि क्या उन्हें निर्दोष नागरिकों की कीमत पर लाभ हुआ है।

5. बिहार राज्य के अपर सतर्कता महानिदेशक को बोर्ड के अधिकारियों के आचरण की जांच करने के लिए कहने वाले विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्देशों पर विचार करने से पहले, हमें उत्तरदाता की शिकायत को देखना होगा। उत्तरदाता की शिकायत यह है कि भले ही उनके पति द्वारा वर्ष 1981 में खरीदे गए एमआईजी फ्लैट के लिए पूरा पैसा चुका दिया गया था, फिर भी बोर्ड के अधिकारियों ने अत्यंत मनमाने ढंग से कार्य करते हुए भारी मांग की है। उच्च न्यायालय के विभिन्न आदेशों के माध्यम से, अंततः बोर्ड ने प्रश्नगत फ्लैट का स्वामित्व उत्तरदाता की बहू के पक्ष में हस्तांतरित कर दिया। हालांकि बोर्ड की ओर से पेश वकील ने कहा है कि बोर्ड अतिरिक्त राशि की मांग करने में उचित था, लेकिन ऐसे विवरणों के अभाव में और इस तथ्य को देखते हुए कि अब बोर्ड ने अनुरोध के अनुसार उत्तरदाता की बहू के पक्ष में फ्लैट का मालिकाना हक हस्तांतरित कर दिया है, हम बोर्ड के दावे की जांच करने के इच्छुक नहीं हैं।

6. आइए उपरोक्त अनुच्छेदों में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा जारी निर्देशों पर विचार करें। विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह देखते हुए कि बोर्ड द्वारा निर्धारित फ्लैट की कीमत का भुगतान आवंटी द्वारा कर दिया गया था, मूल आवंटी की मृत्यु के बाद, उसकी पत्नी - यहाँ उत्तरदाता ने अपने नाम पर फ्लैट हस्तांतरित करने के लिए आवेदन किया, इस स्तर पर, बोर्ड के अधिकारियों ने उसे भुगतान का प्रमाण और अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहा, जो उसके द्वारा विधिवत प्रस्तुत किए गए, इसके बाद उसके नाम पर फ्लैट हस्तांतरित करने की अनुमति दी गई, अंततः, उत्तरदाता द्वारा उक्त फ्लैट को अपनी बहू के नाम पर हस्तांतरित करने के अनुरोध पर, बोर्ड के अधिकारियों ने बकाया दिखाते हुए एक भारी राशि की गणना की और इस पृष्ठभूमि के साथ, विद्वान एकल न्यायाधीश ने विनिर्दिष्ट आदेश  याचिकाकर्ता के दावे की जांच की और बोर्ड के रुख पर विचार किया। बोर्ड की शिकायत यह है कि क्या एक रिट कार्यवाही में जहाँ विनिर्दिष्ट आदेश याचिकाकर्ता ने बोर्ड द्वारा जारी मांग सूचना  को चुनौती दी थी, क्या रिट न्यायालय याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई राहत से आगे जाकर प्राथमिकी दर्ज करने के बाद सतर्कता विभाग द्वारा जांच का आदेश दे सकता था? बोर्ड की यह भी शिकायत है कि क्या विनिर्दिष्ट आदेश कार्यवाही में, विद्वान एकल न्यायाधीश बिना किसी के द्वारा किए गए किसी अपराध के आरोप के प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दे सकते थे और क्या किसी विशिष्ट आरोप के अभाव में, विद्वान एकल न्यायाधीश का विस्तृत अन्वेषण  का आदेश देना उचित है?

7. विद्वान एकल न्यायाधीश ने कई समान मामलों में उच्च न्यायालय के कई निष्कर्षों और टिप्पणियों पर संज्ञान लिया। यहाँ यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने 07.02.2008 को आदेश पारित करते समय निम्नलिखित निर्णयों पर अवलंबन किया, जैसे: *श्रीमती मीरा मिश्रा बनाम बिहार राज्य 2001 (3) पीएलजेआर 809, संजीव कुमार सिंह बनाम प्रबंध निदेशक 2003 (2) पीएलजेआर 513 और सीता देवी बनाम बिहार राज्य आवास बोर्ड 2007 (1) पीएलजेआर 246*। यह बताया गया कि ये मामले या तो अपास्त कर दिए गए थे, या संशोधित किए गए थे, या वर्तमान मामले पर लागू नहीं थे। उन टिप्पणियों में, उच्च न्यायालय ने बोर्ड को उसके कुप्रबंधित मामलों और उसके कामकाज के तरीके के लिए आरोपित किया था। उन टिप्पणियों और निष्कर्षों पर भारी अवलंबन करते हुए, विद्वान एकल न्यायाधीश ने माना कि मांग सूचना पूरी तरह से अनुचित था और इसलिए, इसे अभिखंडित कर दिया गया तथा बोर्ड को विनिर्दिष्ट आदेश याचिकाकर्ता की बहू के पक्ष में फ्लैट हस्तांतरण की अनुमति जारी करने का निर्देश दिया गया। बोर्ड के आचरण को देखते हुए, विद्वान एकल न्यायाधीश ने महसूस किया कि इसके पदाधिकारियों को राज्य सतर्कता विभाग द्वारा जांच के दायरे में लाया जाना चाहिए और तदनुसार बिहार राज्य के अपर सतर्कता महानिदेशक को बोर्ड के विरुद्ध मामला दर्ज करने और उन सभी व्यक्तियों की गतिविधियों की जांच करने का निर्देश दिया गया जो निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल थे, और साथ ही जो गलत खाते बनाने और झूठी मांगें उठाने के लिए जिम्मेदार थे। विद्वान एकल न्यायाधीश ने बोर्ड के ऐसे अधिकारियों की संपत्ति और संपत्तियों की जांच करने का भी निर्देश दिया।

8. बोर्ड द्वारा दायर अतिरिक्त दस्तावेजों से यह देखा गया है कि विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्देश के आधार पर, अपर सतर्कता महानिदेशक ने महाधिवक्ता से राय मांगी थी। दिनांक 19.07.2008 के पत्र के माध्यम से, विनिर्दिष्ट आदेश याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई राहत के सत्यापन और विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्देशों तथा जांच टीम द्वारा रखे गए तथ्यों के विश्लेषण के बाद, महाधिवक्ता ने यह राय दी कि प्रारंभिक अन्वेषण के दौरान अब तक एकत्र की गई और अभिलेख पर रखी गई विषय-वस्तु बोर्ड के अधिकारियों के खिलाफ प्रथम दृष्टया कोई आपराधिक अपराध नहीं बनाती है, जिससे कि नियमित मामला दर्ज करना आवश्यक हो।

9. यह निर्विवाद है कि 07.02.2008 को ही विद्वान एकल न्यायाधीश ने रिट याचिका को स्वीकार करते हुए उसका निपटारा कर दिया था और उत्तरदाता को राहत प्रदान कर दी थी, साथ ही बोर्ड और उसके अधिकारियों के विरुद्ध सतर्कता जांच का आदेश दिया था। इसके पश्चात, भले

ही विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश के विरुद्ध बोर्ड द्वारा दायर लेटर्स पेटेंट अपील का भी खंडपीठ द्वारा निपटारा कर दिया गया था, यह स्पष्ट और समझ से परे है कि मामले की सुनवाई विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर कैसे की गई। महाधिवक्ता की राय पर आधारित सतर्कता विभाग का प्रतिवेदन का अवलोकन करने के बाद भी, विद्वान एकल न्यायाधीश ने 03.05.2010 को पुनः आदेश पारित किया और सतर्कता विभाग को फिर से आगे की रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। बोर्ड की शिकायत यह है कि चूंकि रिट याचिकाकर्ता ने उचित राहत प्राप्त कर ली थी और आवश्यक विवरणों के साथ किसी विशिष्ट दावे/शिकायत के अभाव में, विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा सतर्कता विभाग को बोर्ड के मामलों की विस्तृत अन्वेषण के लिए निर्देशित करना उचित नहीं था। उक्त प्रतिवेदन को सतर्कता पुलिस अधीक्षक द्वारा 03.05.2010 को विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष रखा गया था। सतर्कता विभाग का प्रतिवेदन और महाधिवक्ता की राय को देखने के बाद, विद्वान एकल न्यायाधीश ने सतर्कता विभाग को इस मुद्दे पर जांच में और अधिक समय लगाने और प्रतिवेदन दाखिल करने का निर्देश दिया, क्योंकि पिछला प्रतिवेदन न्यायालय की अपेक्षा के अनुरूप नहीं था।

10. यह निर्विवाद है कि विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष एकमात्र प्रश्न बोर्ड द्वारा जारी मांग सूचना से संबंधित था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि याचिकाकर्ता ने बोर्ड के अधिकारियों के विरुद्ध कुछ बयान दिए थे, हालांकि, विनिर्दिष्ट आदेश याचिकाकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बोर्ड के मामलों में कुप्रबंधन की ओर इशारा करते हुए कोई विशिष्ट शिकायत नहीं की गई थी। यदि सभी विवरणों के साथ कोई विशिष्ट शिकायत होती, तो निस्संदेह न्यायालय उसे जांच और उसके परिणाम के अनुसार आगे की कार्रवाई के लिए संबंधित मंच को भेज सकता था। केवल अन्य मामलों में उच्च न्यायालय के आदेशों में की गई कुछ टिप्पणियों के आधार पर, जो या तो अपास्त कर दिए गए थे, या संशोधित किए गए थे, या वर्तमान मामले पर लागू नहीं थे, विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा सतर्कता जांच के निर्देश जारी करना उचित नहीं था। निर्देश इस आधार पर भी आगे बढ़ता है मानो बोर्ड के अधिकारियों को बिना किसी विश्वसनीय और स्वीकार्य सामग्री के भारी राशि का लाभ हुआ हो। सामान्यतः, न्यायालय का कार्य उठाए गए विवाद को सुलझाना है और केवल असाधारण मामलों में, वह भी तब जब पर्याप्त सामग्री उपलब्ध हो, ऐसी जांच का आदेश दिया जा सकता है, लेकिन सामान्य जानकारी, धारणा या अनुमान के आधार पर नहीं। इसके अलावा, 07.02.2008 को ही विनिर्दिष्ट आदेश याचिका के निपटारे के बाद,

विद्वान एकल न्यायाधीश ने किस प्रकार क्षेत्राधिकार ग्रहण किया और इस मामले में कई निर्देश जारी किए।

11. उपरोक्त चर्चा के आलोक में, हम संतुष्ट हैं कि सतर्कता विभाग द्वारा जांच से संबंधित निर्देश और विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा बाद के आदेशों और निर्देशों को बरकरार नहीं रखा जा सकता है। उत्तरदाता को दी गई राहत से संबंधित विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश की पुष्टि करते हुए, बोर्ड और उसके अधिकारियों से संबंधित अन्य सभी निर्देश अपास्त किए जाते हैं। हालांकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि बोर्ड के किसी भी अधिकारी के विरुद्ध तथ्यों और आंकड़ों के साथ कोई विशिष्ट शिकायत है, तो संबंधित व्यक्ति उचित अभियोजन अभिकरण के पास जाने के लिए स्वतंत्र है और यदि ऐसी कोई शिकायत की जाती है, तो अभिकरण कानून के अनुसार कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है।

12. दीवानी अपील को उपर्युक्त सीमा तक स्वीकार किया जाता है। लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।

एन.जे. अपील आंशिक रूप से स्वीकार की गई।

**खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।**